

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय  
मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 401/36-3-06-7(न्यू वे०)/04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपयोगिता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 522 अंको के ऊपर जुलाई 2011 से दिसम्बर 2011 के औसत 939 (नौ सौ नौ मात्र) पर दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 30.09.2012 तथा जनवरी 2012 से जून 2012 के औसत 939 (नौ सौ उनतालिस मात्र) पर दिनांक 01.10.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की गति गणना करके देय है :-  
दृष्टान्त :- रूपयें 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 939 पर दिनांक 01.10.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

$$(939-522) \times 2600 = ₹ 2077.01 \text{ प्रतिमाह}$$

522

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता की दर निम्नवत् है :-

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मजदूरी रु० में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपयें में	
			दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 30.09.2012 तक	दिनांक 01.10.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक
1	2	3	4	5
1	अकुशल	2600.00	1927.59	2077.01
2	अर्द्ध कुशल	2964.00	2197.45	2367.79
3	कुशल	3290.00	2439.14	2628.22

नियोजनों के नाम :-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- गिद्दान उद्योग।
- वासिन्ट पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल शार्बल पंप।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिले सिलार्य कम्प्लेक्स की विनिर्माणशाला।
- बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों का खुदाई।
- उन सामस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डॉक्टरों सागान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्तियाँ नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- शेजरी संकर्म।
- निजी पुरतकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
- रामबाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।
- वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य बन उपजा का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- दुकान।
- वाणिज्य अधिष्ठान।
- चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- तेल मिल।
- लोक गौदर परिवहन।
- यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।

प्रवर्तन

1150  
5/12

05/10/12

32. आटोमोबाइल रिपेयरिंग कर्मशाखा।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. रियाइलाइस उद्योग।
36. आइसक्रीम/ आइस्क्रीम विनिर्माणशाखा।
37. चर्क विनिर्माणशाखा।
38. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाखा।
39. लाण्ट्री और धुलाई अधिष्ठान।
40. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाखा।
41. ब्रिकन के कार्य।
42. चिल्डरसाजी।
43. कौल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरैमिक्स या रिफेक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. रिलीस उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. क्लब।
51. हथकरघा (शिल्क की साडी की बुनाई) उद्योग के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति धालित करघा उद्योग।
57. छोटा (मिनिअर) बल्ब एवं कौंच उत्पादों के निर्माण।
58. कपड़ा उद्योग।
59. ईट गटका उद्योग।

(जी०के० कंचन )

अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०- 5137-62 / प्रवर्तन०-(म० भत्ता) / 12

दिनांक 01-10-2012

प्रतिलिपि :-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवा गेजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसंधान उ०प्र० श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
5. अधिशासी निदेशक उद्योग वंशु लखनऊ।
6. उप श्रमायुक्त, (नजारात) को नोटिस बोर्ड पर कक्षा करने हेतु।
7. उप श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
8. उप श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त एवं सहायक निदेशक, भारत सरकार को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा त्रिभाषीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. उप श्रमायुक्त (प्रस्तावनालय) मुख्यालय को सूचनाएं/उपनिर्देश प्रेषित।
10. प्रचार अधिकारी को सूचना देना।

(जी०के० कंचन )

अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय- उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ

संख्या- 14773 / एल०आर०प्र०।म०भत्ता, दिनांक 31/10 अक्टूबर, 2012  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सहायक श्रमायुक्त, उन्नाव/रायबरेली/हरदोई/लखी मपुर-खीरी एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सीतापुर।
- 2- समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लखनऊ।

! जी०एन० श्रीवास्तव !

सहायक श्रमायुक्त,  
कृते उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ।